

तारीख
हुक्म

पद्मसिंह बनाम गिरवसिंह
हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
वादपत्र अस्थाई निषेध

क्र. 104/2025

09.06.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14.10.2021 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् (प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1) को पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)